



संदर्भ सं. राबैं.जीएसडी/81580-81610/आई एस-1/ 2025-26

02 सितंबर 2025

परिपत्र सं: 204/जीएसडी-07/ 2025

अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/ महोदय

वर्ष 2025-26 के लिए अल्पावधि मियादी ऋणों (कृषि और संबद्ध गतिविधियों) के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना को जारी रखने पर दिनांक 01.07.2025 के परिपत्र सं.157 का प्रास्थगन

कृपया दिनांक 01.07.2025 के हमारे परिपत्र सं.157/जीएसडी-04/2025 का अवलोकन करें, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2025-26 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना पर उनके दिनांक 16 जून 2025 के पत्र एफ.सं.1-4/2020-ऋण-I के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर परिचालित किया गया था।

2. इन दिशानिर्देशों से जुड़ी परिचालनात्मक चुनौतियों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त परिपत्र को अगले आदेशों तक प्रास्थगित रखा जाए।

3. संशोधित परिपत्र यथासमय जारी किया जाएगा।

4. आप कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों/ आंचलिक कार्यालयों और शाखाओं को तदनुसार सूचित करें।

भवदीय

(डॉ. सुमन कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

सरकारी योजनाएँ विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: + 91 2653 9332 • ई-मेल : gsd@nabard.org

Government Schemes Department

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: + 91 2653 9332 • E-mail : gsd@nabard.org